न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 114/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 किरण पुत्री महावीर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 किसन पिता महावीर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 प्रेमदेवी पत्नि महावीर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

4 राकेश पिता महावीर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... **प्रार्थीगण**

वनाम

1 कमरूदीन पिता साबूदीन मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 नाथी देवी पत्नि पारस रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

4 शाखा प्रबन्धक, बेंक ऑफ बडौदा शाखा कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा——–वकील प्रार्थीगण

अनुपस्थित– अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04

राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 02.06.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कोठिया पटवार मण्डल क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 772 के आराजी संख्या 1222, 1223, 3105, 5093/3104, 5094/3104 किता 5 रकबा 2.48 हैक्ट. प्रार्थीगण के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण स्वयं की सहखातेदारी भूमि में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खातेदारी तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01, 02 की खातेदारी भूमि में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01, 02 की आराजी संख्या 3107, 2837 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बावत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 01, 02 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 3107, 2837 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील जाहिर करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01, 02, 04 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकावले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बतौर बहस अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी सहखातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है एवं न ही कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। प्रार्थीगण वर्षो से आवागमन के लिए विपक्षीगण की भूमि का उपयोग कर रहे है।
2. रिपोर्ट तहसीलदार में भी यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के निर्बाध आवागमन हेतु सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में यह तथ्य प्रमाणित है कि मौजा कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 3107 रकबा 0.26 में से 0.0190 हैक्टे. (2.50 मीटर गुणा 76 मीटर/190 वर्गमीटर) एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी संख्या 2837 रकबा 0.72 में से 0.0190 हैक्टे. (2.50 मीटर गुणा 76 मीटर/190 वर्गमीटर) भूमि ही नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल 15 फीट चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो इस दृष्टिकोण से यह नवीन रास्ता प्रस्तावित हुआ है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तथ्य नही प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये 20 फिट चौडे रास्ते के मुकाबले अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो तथा कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस पर मनन करने के पश्चात मौजा कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 3107 रकबा 0.26 में से 0.0190 हैक्टे. (2.50 मीटर गुणा 76 मीटर/190 वर्गमीटर) एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी संख्या 2837 रकबा 0.72 में से 0.0190 हैक्टे. (2.50 मीटर गुणा 76 मीटर/190 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय उचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 3107 रकबा 0.26 में से 0.0190 हैक्टे. (2.50 मीटर गुणा 76 मीटर/190 वर्गमीटर) एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी संख्या 2837 रकबा 0.72 में से 0.0190 हैक्टे. (2.50 मीटर गुणा 76 मीटर/190 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 3107, 2837 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0380 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 20,016/–रूपये (0.0380 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा